13 5/23

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट माण्डल मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
सिविल न्यायाधीश एवं
मजिस्ट्रेट
माण्डल – भीलवाड़ा

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 82/23 प्रा०पत्र

1– श्री कैलाश S/o शोभालाल जाट निवासी - उम्मेदपुरा तहसील - माण्डल (बागोरा)

–प्रार्थी

वनाम

1– श्री छीतर S/o रघुनाथ जाट निवासी - उम्मेदपुरा तहसील - माण्डल (बागोरा)
(पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 13-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 177, 178, 346 कुल किता 03 रकबा 2.8201 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-05-23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त कांश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 177, 178, 346 कुल किता 03 रकबा 2.8201 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा को 800/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को वनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा